

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर जिला-सलूमबर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 09/2001 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-20001/0009

उनवान

1. मृतक पांचिया पिता मानाजी जाति मीणा के बजाय विधिक वारिसान केरीया, कालिया, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया जाति मीणा
2. श्री कल्लु उर्फ कालू पिता नेताजी जाति मीणा आयु बालिग निवासीयान बुडेल, फला झाला, हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलूमबर।

-वादिगण

बनाम

1. मृतक भीमा पिता तलीया जाति मीणा के बजाय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दि. से प्रतिस्थापित प्रतिवादी नं. 3।
2. श्री सरदारिया पिता नंगलाजी मीणा आयु बालिग
3. श्री नाथु पिता नंगलाजी मीणा आयु बालिग
4. श्री नाथु "गोद" पिता मुत्तबना भीमाजी मीणा आयु बालिग सभी निवासीयान बुडेल फला झाला हाल तहसील झल्लारा जिला सलूमबर।
5. भूमिधारी तहसीलदार सलूमबर हाल तहसील झल्लारा जिला सलूमबर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत् पांती बंटवाडा, घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-::निर्णय::-

दिनांक:- 12/01/2026

उपस्थित:- श्री गेबीलाल मेहता - अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4 - एक पक्षीय

वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा, पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण मे निर्णय दिनांक 02-07-2024 द्वारा प्रकरण मे मौजा बुडेल पटवार हल्का मानपुर ए भू.अ.नि भवराना जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 खाता सं. नई 112 पुरानी 100 कुल किता 32 रकबा 4.08 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी नम्बर 1 एक व वादी नम्बर 2 दो का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 दो व 3 तीन का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 चार 1/3 हिस्से अनुसार बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 665 दिनांक 17-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वादीगण को करवाया गया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए मृतक पांचिया का हिस्सा विधिक वारिसान के हिस्से रखने का कथन किया। पालना रिपोर्ट मे मृतक पांचिया के विधिक वारिसान केरीया, कालिया, नाथु, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया बताये है जिसमे से नाथु प्रतिवादी संख्या 4 है जो भीमा के गोदपुत्र रहा है अतः मृतक पांचिया के विधिक वारिसान केरीया, कालिया, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेकर मृतक पांचिया का हिस्सा उक्त

उन्वान-पांचिया वनाम श्री भीमा व अन्य

विधिक वारिसान हिस्से रखते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण मे बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः वादीगण को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा बुडेल पटवार हल्का मानपुर ए भू.अ.नि भवराना जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 खाता सं. नई 112 पुरानी 100 कुल किता 32 रकबा 4.08 हैक्टेयर कृषि भूमि में आराजीयात की भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. खातेदार का नाम- पांचिया पिता माना, कल्लु उर्फ कालु पिता नेता के नाम संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 411/2/0.045, 412/0.03, 413/0.04, 466/2/0.06, 499/0.07, 500/0.05, 509/0.06, 518/0.07, 520/0.08, 521/2/0.09, 597/2/0.75, 706/1/0.13, 735/0.25, 10/1/0.31 कुल किता 14 रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि रहेगी। चूकि पालाना रिपोर्ट दिनांक 17-10-2025 से वादी पांचिया पिता माना की मृत्यु होना जाहिर आया है। अतः मृतक पांचिया का हिस्सा विधिक वारिसान केरीया, कालिया, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया के नाम शामिल रहेगा।
2. खातेदार का नाम- नाथु गोद पिता मुत्तबन्ना भीमाजी के नाम आराजी नम्बर 534/2/0.015, 535/2/0.05, 533/0.05, 504/0.10, 692/0.01, 693/0.21, 694/0.16, 597/1/0.075, 598/0.11, 594/0.16, 706/2/0.12, 10/2/0.30 कुल किता 12 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि सा. देह खातेदार।
3. खातेदार का नाम- सरदारिया पिता नंगला, नाथु पिता नंगला जाति मीणा के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 410/0.09, 411/1/0.025, 534/1/0.045, 535/1/0.04, 536/0.03, 431/0.13, 466/1/0.06, 501/0.07, 505/0.08, 519/0.06, 510/0.06, 521/1/0.09, 552/0.06, 595/0.09, 706/3/0.12, 10/3/0.31 कुल किता 16 रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि सा.देह खातेदार।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 665 दिनांक 17-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रखते हुए एवं वाद विचारण के दौरान किसी भी प्रकार का नया खाता कायम किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए माफिक निर्णय एवं पक्षकारो के हिस्से अनुसार खाते पृथक-पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार झल्लारा को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय दिनांक 12/04/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर
सहाय जिला सलूमबर
जिला सलूमबर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 09/2001 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-20001/0009

उनवान

1. मृतक पांचिया पिता मानाजी जाति मीणा के बजाय विधिक वारिसान केरीया, कालिया, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया जाति मीणा
2. श्री कल्लु उर्फ कालू पिता नेताजी जाति मीणा आयु बालिग निवासीयान बुडेल, फला झाला, हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलुम्बर।

-वादिगण

बनाम

1. मृतक भीमा पिता तलीया जाति मीणा के बजाय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दि. से प्रतिस्थापित प्रतिवादी नं. 3।
2. श्री सरदारिया पिता नंगलाजी मीणा आयु बालिग
3. श्री नाथु पिता नंगलाजी मीणा आयु बालिग
4. श्री नाथु "गोद" पिता मुत्तबना भीमाजी मीणा आयु बालिग सभी निवासीयान बुडेल फला झाला हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर।
5. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत पांती बंटवाडा, घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:-12/01/2006

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा बुडेल पटवार हल्का मानपुर ए भू.अ.नि भबराना जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 खाता सं. नई 112 पुरानी 100 कुल कित्ता 32 रकबा 4.08 हैक्टेयर आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है-

1. खातेदार का नाम- पांचिया पिता माना, कल्लु उर्फ कालु पिता नेता के नाम संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 411/2/0.045, 412/0.03, 413/0.04, 466/2/0.06, 499/0.07, 500/0.05, 509/0.06, 518/0.07, 520/0.08, 521/2/0.09, 597/2/0.75, 706/1/0.13, 735/0.25, 10/1/0.31 कुल कित्ता 14 रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि रहेगी। चूंकि पालाना रिपोर्ट दिनांक 17-10-2025 से वादी पांचिया पिता माना की मृत्यु होना जाहिर आया है। अतः मृतक पांचिया का हिस्सा विधिक वारिसान केरीया, कालिया, रमेश, हिरिया पुत्र पांचिया, भेरकी हकरी पुत्री पांचिया के नाम शामलाती रहेगा।
2. खातेदार का नाम- नाथु गोद पिता मुत्तबन्ना भीमाजी के नाम आराजी नम्बर 534/2/0.015, 535/2/0.05, 533/0.05, 504/0.10, 692/0.01, 693/0.21,

694/0.16, 597/1/0.075, 598/0.11, 594/0.16, 706/2/0.12, 10/2/0.30
कुल किता 12 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि सा. देह खातेदार।

3. खातेदार का नाम- सरदारिया पिता नंगला, नाथु पिता नंगला जाति मीणा के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 410/0.09, 411/1/0.025, 534/1/0.045, 535/1/0.04, 536/0.03, 431/0.13, 466/1/0.06, 501/0.07, 505/0.08, 519/0.06, 510/0.06, 521/1/0.09, 552/0.06, 595/0.09, 706/3/0.12, 10/3/0.31 कुल किता 16 रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि सा.देह खातेदार।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 665 दिनांक 17-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रखते हुए एवं वाद विचारण के दौरान किसी भी प्रकार का नया खाता कायम किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए खाते पृथक-पृथक कायम किये जाने की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पालार्थ तहसीलदार झल्लारा को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 12/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर



वादे के खर्चे

| वादी | रुपये | पैसे | वादी | रुपये | पैसे |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|------|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 04 | 00 | 1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 01 | 00 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 00 | 00 |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 00 | 00 | 3. प्लीडर की फीस | 00 | 00 |
| 4. रुपयेपरलीडर की फीस | 00 | 00 | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 | 5. आदेशिका की तामील | 00 | 00 |
| 6.कमिश्नर की फीसतलवाना | 01 | 00 | 6. कमिश्नर की फीस | 00 | 00 |
| 7. आदेशिका की तामील | 02 | 00 | | | 00 |
| 8. स्टाम्प | | 00 | | | |
| योग | 07 | 00 | | 02 | 00 |

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर